

प्रेस नोट: सराहनीय कार्य-जनपद अमरोहा

दिनांक 22.01.2023

***थाना आदमपुर पुलिस द्वारा हत्या कर घटना को एक्सीडेंट का रूप देने की घटना का सफल अनावरण कर घटना में संलिप्त मृतक की पत्नी सहित चार अभियुक्त गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद* ।**

पुलिस अधीक्षक अमरोहा श्री आदित्य लांगहे के कुशल निर्देशन एवं मार्गदर्शन में अपराध नियंत्रण एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्री राजीव कुमार सिंह अपर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व एवं क्षेत्राधिकारी हसनपुर के निकट पर्यवेक्षण में थाना आदमपुर पुलिस द्वारा हत्या कर घटना को एक्सीडेंट का रूप देने की घटना का सफल अनावरण कर घटना में संलिप्त मृतक की पत्नी सहित चार अभियुक्त गिरफ्तार किये गये जिनकी निशादेही पर घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद हुई ।

संक्षिप्त विवरण:- अवगत कराना है कि थाना आदमपुर पर वादी की तहरीर पर मु0अ0स0 11/2023 धारा 279/304ए भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत हुआ था दौरान विवेचना साक्ष्य संकलन व बयान वादी तथा वादी द्वारा पुनः दी गयी तहरीर के मुताबिक उक्त अभियोग में धारा 279/304ए भादवि का विलोप करते हुए धारा 302/201/120बी/34 भादवि में की वृद्धि कर विवेचना प्रारम्भ की गयी जिसमें 1. श्रीमती लता शर्मा पत्नी स्व0 कुलदीप शर्मा निवासी ग्राम ढबारसी थाना आदमपुर जनपद अमरोहा 2. नरेन्द्र सिंह पुत्र यादराम सिंह निवासी ग्राम ढबारसी थाना आदमपुर जनपद अमरोहा को नामजद किया गया तथा अभियुक्तगण 1. कपिल नागर पुत्र महिपाल सिंह ग्राम तरौली थाना रहरा जनपद अमरोहा 2. ऋषिपाल पुत्र कमल सिंह निवासी ग्राम दरियापुर तुगन थाना आदमपुर जनपद अमरोहा 3. विजय पुत्र बलवन्त निवासी ग्राम काशमपुर काशमपुर जनूबी के नाम प्रकाश में आये अब तक की विवेचना, साक्ष्य संकलन कर अभियुक्तगण श्रीमति लता, नरेन्द्र, कपिल, ऋषिपाल को आज दिनांक 22.01.23 को गिरफ्तार किया गया ।

***पूछताछ विवरण*:-** पूछताछ पर अभियुक्ता श्रीमती लता द्वारा बताया गया कि मेरी शादी कुलदीप पुत्र राजपाल निवासी ग्राम ढबारसी थाना आदमपुर जनपद अमरोहा के साथ करीब 19 वर्ष पूर्व हुई थी । कुलदीप ट्रक ड्राइवरी का काम करता था तथा शराब पीने के आदी था ड्राइवरी पर कभी कभी जाता था चार वर्ष पूर्व ग्राम ढबारसी के नरेन्द्र पुत्र यादराम जिसकी ग्राम ढबारसी में गैस एजेन्सी हैं उसका ट्रक चलाता था वहां नौकरी करने के कारण मेरे अवैध सम्बन्ध नरेन्द्र से हो गये थे । कुलदीप को सम्बन्धों के बारे में पता चलने पर कुलदीप लता के साथ अक्सर मार पीट करता था जिससे लता ने नरेन्द्र के साथ मिलकर कुलदीप को मारने की योजना बनायी योजना के तहत पहले कपिल को एक लाख रुपये में कुलदीप को मारने के लिये तैयार किया गया किन्तु कपिल अकेला कुलदीप की हत्या नहीं कर सका जिस कारण लता के प्रेमी नरेन्द्र ने ऋषिपाल व विजय को दो लाख रुपये में कुलदीप की हत्या करने के लिये तैयार किया तथा एडवांस के रूप में 50,000/- रुपये कपिल, ऋषिपाल व विजय को दिये, 1,50,000/- रुपये काम हो जाने के बाद तय हुए योजना के मुताबिक दिनांक 09.01.23 को लता ने अपने पति को ट्रक खरीदने के वाहने घर से भेज दिया था रास्ते में ऋषिपाल विजय की कार में बैठाकर उझारी ले गया जहां पर ऋषिपाल व कपिल मिले तीनों लोग कुलदीप को लेकर गजरौला ट्रक दिखाने ले गये वहां पर काम न होने के बाद चारों लोगो ने उझारी शराब पी जब उसे पूरा नशा हो गया तो ऋषिपाल तथा विजय गाडी में कुलदीप के साथ बैठ गये तथा कपिल विजय की मोटरसाइकिल पर हो लिया । इसके बाद ये लोग उझारी से चल दिये तथा उझारी से आगे निकलकर कुंआडाली मोड पर आकर ऋषिपाल ने गाडी सैदनगली जाने वाले रास्ते पर मोड दी तथा थोडा आगे चलकर नवनिर्माणधीन हाईवे से आगे ले जाकर कुलदीप को गाडी से उतार लिया तथा उसे सडक पर गिरा लिया इसके बाद विजय ने कुलदीप के उपर कई बार गाडी चढाई थी । कुलदीप बहुत ज्यादा नशे में था इसलिये विरोध नहीं कर सका इसके बाद ऋषिपाल ने विजय की मोटरसाइकिल भी कई बार कुलदीप के उपर चढाई थी । कुलदीप की मृत्यु के पश्चात इन लोगो ने उसे विजय की गाडी में डाल लिया । कुलदीप के एक पैर का जूता मौके पर गिर गया तथा रास्ते में ग्राम सकतपुर के बाहर अचानक से गाडी की खिडकी खुल गयी तथा कुलदीप के दूसरे पैर का जूता भी

वही गिर गया । इसके बाद यह लोग उसे गाडी में डालकर ले आये तथा ढबारसी के पास लाकर सडक पर डाल दिया था ।



***गिरफ्तार अभियुक्तगण*:-**

1. श्रीमती लता शर्मा पत्नी स्व० कुलदीप शर्मा निवासी ग्राम ढबारसी थाना आदमपुर जनपद अमरोहा।
2. नरेन्द्र सिंह पुत्र यादराम सिंह निवासी ग्राम ढबारसी थाना आदमपुर जनपद अमरोहा।
3. कपिल नागर पुत्र महिपाल सिंह निवासी ग्राम तरौली थाना रहरा जनपद अमरोहा ।
4. ऋषिपाल पुत्र कमल सिंह निवासी ग्राम दरियापुर तुगन थाना आदमपुर जनपद अमरोहा ।

***बरामदगी*:-**

1. घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल पैशन प्रो रंग काला रजि० नं० UP 16 AQ 4856 ।

***आपराधिक इतिहास अभियुक्त नरेंद्र सिंह*:-**

1. मु०अ०स० 11/2023 धारा 302/201/120बी/34 भादवि थाना आदमपुर ।

***आपराधिक इतिहास अभियुक्त कपिल नागर*:-**

1. मु०अ०स० 11/2023 धारा 302/201/120बी/34 भादवि थाना आदमपुर ।

***आपराधिक इतिहास अभियुक्त ऋषिपाल*:-**

1. मु०अ०स० 11/2023 धारा 302/201/120बी/34 भादवि थाना आदमपुर ।
2. मु०अ०स० 16/2010 धारा 364 भादवि थाना आदमपुर ।

***गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम*:-**

1. थानाध्यक्ष रामप्रकाश शर्मा थाना आदमपुर जनपद अमरोहा ।
2. उ०नि० श्री संदीप बालियान थाना आदमपुर जनपद अमरोहा।
3. उ०नि० श्री बलवान सिंह थाना आदमपुर जनपद अमरोहा।
4. है०का० 81 लोकेन्द्र बालियान थाना आदमपुर जनपद अमरोहा।
5. का० 1187 मानवेन्द्र कुमार थाना आदमपुर जनपद अमरोहा।
6. का० 596 विवेक पवांर थाना आदमपुर जनपद अमरोहा।
7. का० 1310 विनय कुमार थाना आदमपुर जनपद अमरोहा।
8. का० 1305 अनिल कुमार थाना आदमपुर जनपद अमरोहा।

9. म0का0 1325 लिटिल मलिक थाना आदमपुर जनपद अमरोहा

PRO CELL AMROHA